

कार्यालय, परियोजना निदेशक (पीपीपी), सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर

क्रमांक :-

दिनांक :-

श्रीमान उप वन संरक्षक

अजमेर।

विषय :- वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण संख्या FP/RJ/ROAD/21362/2016, एरिया 1.2401 हेक्टे. (अराई - सरवाड़ सड़क) FP/RJ/ROAD/21332/2016, एरिया 4.9696 हेक्टे. (ब्यावर - मसूदा - गोयला सड़क) के विकास कार्य के बदले ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसागन के खसरा नं. 754 रकबा 19.440 हेक्टेयर में से 6.25 हेक्टेयर भूमि (दोनों सड़कों हेतु) वन विभाग के नाम आरक्षित बाबत

संदर्भ :- 1. आपका पत्रांक एफ14 () एफसीए / उवर्स 2021-22/5982, दिनांक 27/08/2021
2. जिला कलेक्टर अजमेर का आदेशांक एफ 12 (सी) कअ/राजस्व/2022/185, दिनांक 18/05/2022 (वन विभाग के नाम 6.25 हेक्टेयर भूमि का आवंटन की जमानंदी व खसरा मैप)
3. इस कार्यालय का पत्रांक 112, दिनांक 10.06.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन हैं, आपके कार्यालय द्वारा मौखिक रूप से ब्यावर - मसूदा - गोयला सड़क के विकास हेतु उपयोग में आ रही वन भूमि का सीमांकन हेतु कहा गया है। उपरोक्त सड़क का सीमांकन करवाया जा चुका है, उक्त के क्रम में श्रीमान जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा अपने संदर्भित आदेश द्वारा उक्त प्रकरण में ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसागन के खसरा नं. 754 रकबा 19.440 हेक्टेयर में से 6.25 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम आरक्षण बाबत आदेश प्रदान किए गए हैं। तथा दिनांक 09/06/2022 को उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम इन्द्राज तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दिया गया है।

अतः सादर निवेदन हैं कि उक्त प्रकरणों पर आवश्यक कार्यवाही कर अग्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय



(अशोक सैनी)

परियोजना निदेशक (पीपीपी),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर
दिनांक :- 19/9/22

क्रमांक :- 298-300

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. श्रीमान अतिरिक्त मुख्य अभियंता (पीपीपी), सानिवि, राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर अजमेर।

(अशोक सैनी)
परियोजना निदेशक (पीपीपी),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर